136/16 रतनलाल v/s चन्दनमल वगैरा

2.6.17	पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान–न्याय आपके द्वार मे अटल सेवा केन्द्र ग्रा.प.सिणधरी चौसिरा मे पेश हुई। वकील प्रार्थीगण व विप्रार्थी स.5 उप.। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी स.1 से 4 बावजुद सुचना के हाजिर नही होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। बहस सुनी गई। प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पथृक से लिखवाया जाकर सुनाया गया और शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो। 02/6/17 उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान–
न्याय आपके द्वार 2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र सिणणरी चौसिरा)
पीठासीन अधिकारी–श्री नाथुसिंह राठौड़ ,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन स.136 / 2016

प्रार्थीगण

1 रतनलाल पुत्र प्रतापमल
2.मदनलाल पुत्र प्रतापमल
जाति सोनी निवासी सिणधरी
तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1 चन्दनमल पुत्र भगवानदास
जाति ओसवाल निवासी सिणधरी
तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर
2.पुरा पुत्र उदा
3.चिमाराम पुत्र डूंगराराम
4.देवाराम पुत्र खेराजराम जाति जाट
निवासी होडू तहसील सिणधरी व जिला
बाड़मेर
5.तहसीलदार,सिणधरी।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1 श्री डालूराम चौधरी,अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2 पेरोकार सरकार (तहसीलदार सिणधरी) विप्रार्थी सं.5 उपस्थित।
3. विप्रार्थी स.1 से 4 एकरतफा।

आदेश

दिनांक–02.06.2017

1.संक्षेप मे आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम किशनपुर पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 16 / 2 रकबा 40 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

किशनपुर पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 16/2 रकबा 40 बीधा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थीगण के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त हुई।विप्रार्थी सं.1 से 4 बावजुद नोटिस तामिल के हाजिर नही होने पर उनके विरूद एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। विप्रार्थी सं.5 की ओर से जवाब पेश नही किया गया।

3.वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम किशनपुर पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 16/2 रकबा 40 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम किशनपुर पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 16/2 रकबा 40 बीधा भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,सलंग्न दस्तावेजात एवं विवादित भूमि की करवाई सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया। जिसमे पाया कि ग्राम किशनपुर पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 16/2 रकबा 40 बीधा भूमि के प्रार्थीगण रिकार्डेड सहखातेदार है,जो पत्रावली के सलंग्न जमाबंदी भूमि संवत 2072 से 2075 से प्रमाणित होता है। तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है,विप्रार्थी स.1 से 4 बावजूद नोटिस तामील होने के हाजिर नही हुए है,इससे प्रतीत होता है,कि विप्रार्थी को प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने मे कोई आपति नही होगीं। ऐसी सूरत मे उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने मे कोई आपति प्रतीत नही होती है।

5. **लिहाजा**,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर **ग्राम किशनपुर पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 16/2 रकबा 40 बीधा** भूमि के चारो

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व मे जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

02/6/12

(नाथूसिंह राठौड)

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 02/6/12 को लिखवाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।

02/6/12

(नाथूसिंह राठौड)

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner